

## राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर

### राजस्थान विधान सभा सचिवालय को स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री की आपूर्ति हेतु

#### बिड प्रपत्र

सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये)	बोली प्रतिभूति (रूपये)
(A) फोटो स्टेट पेपर, डुप्लीकेटिंग टाईप पेपर	2,50,000/-	5,000/-
(B) स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री	1,50,000/-	3,000/-
(C) कम्प्यूटर प्रिन्टर कार्टिज/टोनर व अन्य सामग्री	5,00,000/-	10,000/-
(D) कागज के लिफाफे व लेटर हैड स्क्रीन प्रिंटिंग मय लीफ प्रिंटिंग	1,20,000/-	2,400/-
बोली प्रपत्र शुल्क	रूपये 500/-	
प्रोसेसिंग फीस	रूपये 500/-	
बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि व समय	22.03.2017 प्रातः 11.00 बजे से 05.04.2017 सायं 5.00 बजे तक	
बिड अपलोड (जमा) करने की अन्तिम तिथि व समय	05.04.2017 सायं 5.00 बजे तक	
बिड प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	06.04.2017 सायं 1.00 बजे तक	
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	06.04.2017 सायं 3.00 बजे	

**राजस्थान विधान सभा सचिवालय**

क्रमांक: एफ. ( )स्टोर स्टे./लेखा/विस/2017/10731

जयपुर, दिनांक: 21 मार्च, 2017

**ई-बिड सूचना**

राजस्थान विधान सभा सचिवालय को स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मो/डीलरों से ई-बिड्स आमंत्रित की जाती हैं-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये)	बोली प्रतिभूति (रु.)	बोली प्रपत्र शुल्क (रु.)	प्रोसेसिंग फीस (रु.)
(A) फोटो स्टेट पेपर, डुप्लीकेटिंग टाईप पेपर	2,50,000/-	5,000/-	500/-	500/-
(B) स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री	1,50,000/-	3,000/-		
(C) कम्प्यूटर प्रिन्टर कार्टिज/टोनर व अन्य सामग्री	5,00,000/-	10,000/-		
(D) कागज के लिफाफे व लेटर हैड स्क्रीन प्रिंटिंग मय लीफ प्रिंटिंग	1,20,000/-	2,400/-		

बिड प्रपत्र डाउनलोड करने/बिड अपलोड (जमा) करने की अन्तिम तिथि व समय	22.03.2017 प्रातः 11.00 बजे से 05.04.2017 सायं 5.00 बजे तक
बिड प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	06.04.2017 सायं 1.00 बजे तक
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	06.04.2017 सायं 3.00 बजे

**ई-बिड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-**

1. बिड प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाताओं द्वारा बिड इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन जमा करानी होगी।
2. बिड प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 22.03.2017 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 05.04.2017 सायं 5.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकते हैं।
3. ऑनलाइन बिड इसी वेबसाइट पर इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 05.04.2017 को सायं 5.00 बजे तक अपलोड (जमा) की जा सकती हैं।

4. ऑनलाइन तकनीकी बिड इस कार्यालय में दिनांक 06.04.2017 को सायं 3.00 बजे खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्य दिवस को उसी समय पर तकनीकी बिड खोली जायेंगी।
5. बोली (Bid) की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बिड, द्विबिड पद्धति-तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी।
6. यदि बिड खोलने की तिथि को किसी तकनीकी कारणवश ऑनलाइन प्राप्त समस्त बिड्स नहीं खोली जाती हैं, तो अगले कार्य दिवस को शेष बिड्स खोलने का कार्य अनवरत रखा जायेगा।
7. तकनीकी आकलन में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय की सूचना ऑनलाइन/ई-मेल द्वारा दी जायेगी।
8. इच्छुक बोलीदाता द्वारा दिनांक 05.04.2017 तक कार्यालय समय में बिड प्रपत्र राजस्थान विधान सभा सचिवालय में अथवा वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्रों में बोलीदाता के लिए योग्यता सूचना तथा बोलीदाता की पात्रता एवं कार्य का क्षेत्र व प्लान, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
9. बोलीदाता द्वारा बिड प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रक्रिया शुल्क के मूल डी.डी./बैंकर चैक भौतिक रूप में (physically) राजस्थान विधान सभा सचिवालय में दिनांक 06.04.2017 को सायं 1.00 बजे तक बन्द लिफाफे में जिस पर “राजस्थान विधान सभा सचिवालय को स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री की आपूर्ति हेतु बिड के मूल डी.डी./बैंकर चैक” तथा “बोलीदाता का नाम व पता” स्पष्ट अंकित किया हुआ हो, जमा करवाना आवश्यक है। जिन बोलीदाताओं द्वारा मूल डी.डी./बैंकर चैक कार्यालय में निर्धारित दिनांक व समय तक जमा करवाये जायेंगे उन्हीं बोलीदाताओं की बिड्स ऑनलाइन खोली जायेंगी। शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार
1	<b>बिड प्रपत्र शुल्क</b>	500/-	डी.डी. अथवा बैंकर चैक, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम
2	<b>बिड प्रतिभूति</b>		डी.डी. अथवा बैंकर चैक, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम
	(A) फोटो स्टेट पेपर, डुप्लीकेटिंग टाईप पेपर	5,000/-	
	(B) स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री	3,000/-	
	(C) कम्प्यूटर प्रिन्टर कार्टिज/टोनर व अन्य सामग्री	10,000/-	
	(D) कागज के लिफाफे व लेटर हैड स्क्रीन प्रिंटिंग मय लीफ प्रिंटिंग	2,400/-	
3	<b>प्रोसेसिंग फीस</b>	500/-	डी.डी. अथवा बैंकर चैक, Managing Director, RISL, Jaipur ( payable at Jaipur) के नाम

10. प्रदत्त दरें बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक स्वीकृति हेतु मान्य (valid) रहेंगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है तो उसकी बिड प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।

11. तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-

1. बिड प्रपत्र शुल्क/बिड प्रतिभूति/ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के बैंकर्स चेक/डी.डी. की 'स्केन' की हुई प्रति।
2. तकनीकी बिड प्रपत्र।
3. डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त बिड की शर्तें।
4. फर्म के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति।
5. फर्म का वैट शोधन प्रमाण-पत्र।
6. आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की प्रति।
7. फर्म के विगत दो वर्षों के टर्नओवर संबंधी दस्तावेज।

12. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होंगे।

13. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेजों में और कोई त्रुटि पाये जाने पर बिड को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

**14. ई-बिडिंग के लिए बोलीदाता हेतु निर्देश :-**

- अ. बिड में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इण्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीयन (Registration) करवाना होगा। बोलीदाता जो 30.09.2011 से पहले पंजीकृत हैं उन्हें पुनः पंजीकरण करवाना होगा। ऑनलाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (टाईप II या टाईप III) 'सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000' (Information Technology Act, 2000) के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बिड में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी यथा- e-Mudra, safecrypt (sify), Ncode इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं अथवा सहायता हेतु 'e-Procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan' से सम्पर्क कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैं, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- ब. बोलीदाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर सहित नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- स. इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की 'स्केन' की हुई प्रतियाँ बिड प्रपत्र के साथ ऑनलाइन संलग्न कर दी गयी हैं।
- द. कोई भी बोलीदाता, बिड को इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब करता है, तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान विधान सभा सचिवालय की नहीं होगी।
- य. बोलीदाता को बिड के प्रपत्र में आवश्यक सभी प्रविष्टियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन करना होगा।
- र. ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये यह सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा।

ह.

(राणाराम विश्नोई)  
उपसचिव (प्रशासन)

## बोली प्रपत्र

### राजस्थान विधान सभा सचिवालय को स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री की आपूर्ति हेतु

1. बिड प्रस्तुत करने वाले डीलर/ फर्म का नाम व पता .....  
.....  
.....
2. दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर .....
3. फैंक्स नम्बर .....
4. बिड जिसको प्रस्तुत करनी है :- उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. संदर्भ बिड सूचना :- क्रमांक: एफ. ( )स्टोर स्टे./लेखा/विस/2017  
जयपुर, दिनांक: मार्च, 2017
6. बिड प्रपत्र शुल्क रू. 500/- बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या .....  
दिनांक.....द्वारा एवं ई-बिड प्रक्रिया शुल्क रू. 500/- बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या  
..... दिनांक.....द्वारा जमा।
7. बिड प्रतिभूति राशि जमा का विवरण: रूपये ..... बैंकर्स चैक/डी.डी.नम्बर  
.....दिनांक.....बैंक का नाम.....  
द्वारा जमा।
8. इस बिड के संबंध में बिड प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्तें एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
9. मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करूँगा/करेंगे।
10. मैं/हम दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यक्षीन होंगे ।
11. मैं/हम अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किए जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न हमारे निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।

12. मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूंगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप से प्रभावित करें।
13. हम बिड सूचना तथा बिड की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
14. हमने राजस्थान विधान सभा सचिवालय को स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री आपूर्ति हेतु हमारी प्रस्तावित दर की वित्तीय बिड ऑनलाइन प्रस्तुत कर दी है।
15. उद्घृत की गई दरें 90 दिवस के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
16. फर्म की पंजीकरण/टिन संख्या ..... (पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।
17. वैट शोधन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि ..... (शोधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।
18. आयकर स्थायी खाता संख्या ..... (पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है)।
19. फर्म के विगत दो वर्षों के वार्षिक टर्नओवर संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है।
20. मैं/हम बोली में दिये गए आपूर्ति/कार्य की संलग्न शर्तें पढ़ने के उपरान्त आदेश प्राप्ति के अनुसार आपूर्ति/कार्य करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
21. मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

# खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्तें

## राजस्थान विधान सभा सचिवालय को स्टेशनरी व अन्य सहायक

### सामग्री की आपूर्ति हेतु

- नोट :- 1 बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियां भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।
- 2 बिड प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का आवश्यक रूप से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।
- 3 बिड की शर्तों एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अधिनियम व नियमों में दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

1. सम्पूर्ण सामान की आपूर्ति एक साथ नहीं की जाकर मासिक/त्रैमासिक/छःमाही आपूर्ति आदेश के आधार पर अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक आवश्यकतानुसार की जावेगी। अनुमोदित दरों का अनुबन्ध पूरे वर्ष लागू रहेगा। सामग्री की जो अनुमानित मात्रा संलग्न अनुसूची में अंकित की गई है, वह अनुबन्ध अवधि में कम या अधिक हो सकती है।
  2. सामग्री की सप्लाई कार्यादेश जारी होने की तिथि से अधिकतम सात दिवस में करनी होगी।
  3. **कर पंजीयन प्रमाण-पत्र:-** कोई भी डीलर जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर/वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह बोली नहीं देगा।
  4. **बिक्री कर/वैट शोधन प्रमाण-पत्र:-** बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से प्राप्त नवीनतम बिक्री कर शोधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाएं। इनके बिना बोली रद्द की जा सकती है।
  5. बोलीकार फर्म के गत दो वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष होना अनिवार्य हैं, जिसका प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।
  6. तकनीकी बोली में निम्न शामिल हैं-
    - (I) यथा निर्धारित रूप में पूर्ण बोली प्रतिभूति (Bid Security)
    - (II) बोली शर्तों की स्वीकारोक्ति के रूप में बोली प्रपत्र व शर्तों पर बोलीदाता के डिजिटल हस्ताक्षर सहित बोली प्रपत्र
    - (III) बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र (एस0आर0 11)
    - (IV) फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र/वैट शोधन प्रमाण-पत्र/पेन कार्ड की प्रति
    - (V) फर्म के गत दो वर्षों के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र/दस्तावेज
- नोट- जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोली सारवान/योग्य ( Substantial and responsive) पायी जायेगी, उन्हीं की वित्तीय बोली ऑनलाइन खोली जायेगी।
7. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण परिशिष्ट-क पर है।

8. बोलीदाता को एक लिफाफे में बोली के लिए माँगे गए डी.डी./बैंकर्स चैक भौतिक रूप में (Physically) निर्धारित दिनांक तक कार्यालय में जमा करवाने होंगे तथा डी.डी./बैंकर्स चैक के लिफाफे के साथ ही दूसरे सीलबंद लिफाफे में फर्म को फोटो स्टेट पेपर, लिफाफे व अन्य बिड प्रपत्र में उल्लिखित सामग्री के सैम्पल के तौर पर नमूने भी अवश्य संलग्न करने होंगे, इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जायेगी। (दोनों लिफाफे पृथक्-पृथक् प्रस्तुत किये जायेंगे।)
9. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर) उद्धृत की जानी है तथा सभी करों/अनुषंगिक प्रभारों को सम्मिलित करेंगे।
10. (1) **दरों की तुलना** : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जायेगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा।  
(2) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय राजस्थान/वैट की राशि को शामिल किया जायेगा।
11. **विधि मान्यता** : बोलियां, उनके सामने खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।
12. सशर्त बोलियां मान्य नहीं होंगी। सशर्त बोलियों को निरस्त कर दिया जायेगा।
13. संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा और न ही सबलैट कर सकेगा।
14. प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईगस आदि की सावधानी पूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व राजस्थान विधान सभा सचिवालय से जानकारी प्राप्त करेगा।
15. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित स्पेशिफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेशिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मर्दों को पूर्णरूप से उन स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए। वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहाँ कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। सचिव, राजस्थान विधान सभा/उपापन समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ स्पेशिफिकेशन के अनुरूप हैं, तथा क्या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
16. **सैम्पल:-** अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए बोलीओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सैम्पल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जायेंगे तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएँगे। सैम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पल के लिए एक रसीद दी जाएगी।
17. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बाँध कर उसे उपयुक्त रूप से चिह्नित किया जाएगा तथा उस पर बोलीदाता का नाम, मद की क्रम संख्या, जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएँगे।
18. अनुमोदित प्रदायक के सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन सैम्पलों को प्रतिधारित किया जाएगा, परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूट-फूट, परीक्षण जाँच आदि के दौरान हानि के लिए राजस्थान विधान सभा

सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा सैंपलों को वापस लिया जाएगा। सचिवालय किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि एक माह की अवधि के भीतर कोई सैंपल प्राप्त नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें सचिवालय द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. असफल बोलीदाता अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को बोली के निर्णय के बाद में प्राप्त कर सकेंगे। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट-फूट या परीक्षण जाँच आदि के दौरान हानि के लिए सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। तीन माह में जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे, उन्हें समपहृत किया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
20. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी, उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, परीक्षण गृहों में कराया जा सकेगा तथा जहाँ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
21. सैंपल निकालना:- परीक्षणों के मामलों में बोलीदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सैटों में सैंपल लिए जाएँगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
22. परीक्षण प्रभार:- परीक्षण प्रभार सचिवालय द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से वह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
23. रद्द करना: (1) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएँगी, उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।  
(2) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो सचिव बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेंगे। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
24. रद्द की गयी वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन पर वस्तुओं को, जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
25. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सचिव, राजस्थान विधान सभा किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेंगे।

26. यदि क्रेता किसी कारणवश किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
27. निर्धारित समय में सप्लाई नहीं करने पर विलम्ब से प्राप्त सामग्री पर निम्नानुसार परिनिर्धारित क्षति की वसूली की जायेगी :

(1)

(क)	विहित कार्य पूर्ण करने की अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5 प्रतिशत
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7.5 प्रतिशत
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(4) यदि अनुबंधकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा, न कि कार्यावधि पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(5) यदि कार्य पूर्ण करने में उत्पन्न हुई बाधा अनुबंधकर्ता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो कार्य पूर्ण करने की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति रहित भी की जा सकेगी।

28. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सचिव, राजस्थान विधान सभा किसी भी समय निराकृत कर सकते हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेंगे।

### 29. बिड प्रतिभूति राशि :-

- (i) बिडस के साथ ई-बिड सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करायी जावे।
- (ii) **बिड प्रतिभूति का प्रतिदाय :** असफल बोलीदाताओं की बिड प्रतिभूति बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार कर सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के बाद लौटायी जाएगी।
- (iii) **बिड प्रतिभूति से छूट :** उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मर्दों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति, विधिवत अनुप्रमाणित हो, प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य की 0.5 (आधा) प्रतिशत की दर पर बिड प्रतिभूति जमा करानी होगी।

- (iv) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बिड प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बिड के साथ बिड प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
30. **बिड प्रतिभूति का समपहरण** : बिड प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा -:
- (क) जब बोलीदाता बिड खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के बाद निर्धारित तिथि तक कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
31. **भुगतान-** (1) जब तक पक्षकारों के अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान संवेदक द्वारा विधान सभा सचिवालय को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार संवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (2) विवादास्पद मदों के संबंध में भुगतान राशि के 25 प्रतिशत तक को रोका जा सकेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- (3) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण के परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- (4) बिड प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के साररूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से कार्य/आपूर्ति आदेश के प्राप्त होने से विहित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
32. **वसूलियां** : कम सप्लाई, टूट-फूट एवं रद्द किए गए मालों/सामग्री की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (लिक्विडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं सचिवालय के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
33. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
34. उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेंगे।

35. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव, राजस्थान विधान सभा को भेजा जाएगा तथा उस विवाद के लिए सचिव, राजस्थान विधान सभा का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार, सचिवालय या प्रदायक, द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

36. (1) **करार पत्र का निष्पादन एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप:**

(1) सफल बोलीदाता को दर स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा, जिन कार्यों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर सचिवालय द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-

(क) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ ई-ग्रास/ चालान की प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक, जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्टविलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(4) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2). (1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्टर्ड फर्मों को, उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर सामग्री के मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप जमा करानी होगी।

(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब संवेदक सम्पूर्ण कार्य/आपूर्ति सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिवालय द्वारा बोलीदाता को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

37. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
38. यदि किसी कारण से निविदा कार्य नहीं कराया जाता है/सामग्री क्रय नहीं की जाती है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
39. बोली की समस्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 में दिए गए प्रावधान/ शर्तें एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश आदि संवेदक पर कभी भी बाध्यकारी हो सकते हैं।
40. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) :-** उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोई भी फर्म/संस्था/व्यक्ति,
- (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करे,
  - (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो,
  - (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
  - (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा,
  - (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा,
  - (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
  - (7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
  - (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;
  - (9) डायरी एवं निर्देशिका की सूचनाएं किसी अन्य को उपलब्ध नहीं करायेगा।
41. **हित का विरोध (Conflict of interest) :-**
- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
  - (2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि
    - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं,
    - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
    - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;

- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उप संविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और न ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

42. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग** :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा 3 और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।
43. (1) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।  
(2) प्रथम अपील अधिकारी वरिष्ठ उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर हैं।
44. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें व प्रावधान लागू होंगे।

ह.

(राणाराम विश्नीई)

उप सचिव (प्रशासन)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

## बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्य/ सेवाओं के लिए बिड दी है, उनके मैं/हम पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/इकाई हूँ/हैं तथा कार्य /सेवा आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाइयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में सम्पन्न कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- क

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री का विवरण:-

(क) विभिन्न प्रकार का फोटो स्टेट पेपर

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	स्पेशिफिकेशन	मेक	अनुमानित मात्रा
1	फोटो स्टेट पेपर (75 G.S.M.)	ए-4 साईज	जेके(रेड)	900 रिम
	फोटो स्टेट पेपर (75 G.S.M.)	ए-4 साईज	TNPL	
2	फोटो स्टेट पेपर (75 G.S.M.)	F.S. साईज	जेके(रेड)	100 रिम
	फोटो स्टेट पेपर (75 G.S.M.))	F.S. साईज	TNPL	
3	कलर फोटो स्टेट पेपर (80 G.S.M.)	ए-4 साईज	मैट्रिक्स	150 रिम
4	साइक्लोइस्टाइल पेपर		ओरियन्ट	200 रिम

(ख) अन्य स्टेशनरी एवं सहायक सामग्री

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	स्पेशिफिकेशन	मेक	अनुमानित मात्रा
1	आलपिन (प्लास्टिक डिब्बी पैक)	'T' टाईप	कोरेस	400 पैकेट
2	जैमपिन (प्लास्टिक डिब्बी पैक)	प्लास्टिक कोटेड		400 पैकेट
3	गमबोतल 700 एम.एल		कोरेस	50 नग
4	गमबोतल 300 एम.एल		कोरेस	100 नग
5	स्टेपलर मशीन बडी साईज	HDZ45	कंगारू	100 नग
6	स्टेपलर मशीन छोटी साईज		कोरेस	50 नग
7	स्टेपलर पिन बडी साईज		कोरेस	300 पैकेट
8	स्टेपलर पिन छोटी साईज		कोरेस	200 पैकेट
9	फैक्स रोल	30 मीटर प्रति		10 नग
10	गम स्टीक (15 ग्राम)		कोरेस	200 नग
11	लैस सुपीरियर (60 सेमी)			200 पैकेट
12	टैग सुपीरियर (8 इंच)			150 पैकेट
13	बंसिया पेन्सिल			800 नग
14	पैन	Eye fine	यूनीबॉल	500 नग
15	पैन	V5	पॉयलट	100 नग
16	बॉल पैन (Cello Sapphire)		सेलो	500 नग
17	पैन रिफिल (Cello Sapphire)		सेलो	300 नग
18	करेक्शन पैन (Quick Dry)		सेलो	50 नग
	करेक्शन पैन (Quick Dry)		फेबर कैसल	

19	पेपर वेट (कॉच बॉल में)			20 नग
20	स्टाम्प पैड (बड़ा)	मैटल पैकिंग	अशोका	50 नग
21	स्टाम्प पैड (मध्यम)	मैटल पैकिंग	अशोका	50 नग
22	स्टाम्प पैड इंक	स्टैंडर्ड साईज	अशोका/ कोरेस	50 नग

### (ग) कम्प्यूटर सामग्री

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	स्पेशिफिकेशन (कार्टिज नं.)	मेक	अनुमानित मात्रा
1	टोनर लेजर प्रिन्टर एच.पी. 2055/2035	05A	एच.पी.	20 नग
2	टोनर लेजर प्रिन्टर एच.पी.1150		एच.पी.	01 नग
3	टोनर एच.पी.लेजर प्रिन्टर. 1320/1320 एन	49A	एच.पी	08 नग
4	टोनर एच.पी.लेजर 400/401	80A	एच.पी	20 नग
5	टोनर एच पी 1505	36A	एच.पी	05 नग
6	टोनर एच.पी.लेजर 1108	88A	एच.पी	04 नग
7	टोनर एच.पी.लेजर 2015	53A	एच.पी	20 नग
8	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट 3525 (Black)	CE250A	एच.पी	01 नग
9	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट 3525 (Blue)	CE251A	एच.पी	01 नग
10	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट 3525 (Yellow)	CE252AC	एच.पी	01 नग
11	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट 3525 (Magenta)	CE253A	एच.पी	01 नग
12	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट CP2025(Black)	CC530AC	एच.पी	01 नग
13	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट CP2025(Sky Blue)	CC531A	एच.पी	01 नग
14	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट CP2025(Yellow)	CC532A	एच.पी	01 नग
15	टोनर एच.पी. कलर लेजर जेट CP2025(Pink)	CC533A	एच.पी	01 नग
16	फैक्स टोनर केनन 4380	FX9S	केनन	10 नग
17	पेन ड्राईव स्टील बॉडी (8 जी.बी)	8 GB	किंगस्टन	30 नग
18	सी.डी. विथ कॅवर सिंगल कम्पनी पैकिंग		सोनी	200 नग

19	सी.डी. रीराईटेबल		सोनी	100 नग
20	डी.वी.डी.- आर		सोनी	50 नग
21	डी.वी.डी.-RW (रीराईटेबल)		सोनी	50 नग

**(घ) लैटर पेड/पेपर लिफाफे (मुद्रित)**

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	स्पेशिफिकेशन	मेक	अनुमानित मात्रा
1	लिफाफे खाकी सुपिरियर प्रिन्टेड सादा (100 GSM)	10x4.5 इंच		50000 नग
2	लिफाफे खाकी सुपिरियर प्रिन्टेड सादा (100 GSM)	10x12 इंच		10000 नग
3	लिफाफे खाकी सुपिरियर प्रिन्टेड सादा (100 GSM)	18x12 इंच		10000 नग
4	लैटर पैड सुपीरियर नमूना अनुसार	छोटे		150 पैड
5	लैटर पैड सुपीरियर नमूना अनुसार	मध्यम		100 पैड
6	लैटर पैड सुपीरियर नमूना अनुसार	बड़े		100 पैड